न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर (द्वितीय)

वाद संख्या : 132 / 2023

पूनम बनाम नवरतन वगै.

08/10/24 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस वाद पर सुनी गई। बहस पर गौर मनन किया जाकर पत्रावली का मय दस्तावेजात व मूलवाद अवलोकन किया गया। मूलवाद बाबत् घोषणा हेतु पेश किया गया है मूलवाद का निस्तारण साक्ष्य उपरांत गुणावगुण पर किया जाना है अस्थाई निषेधाज्ञा के बिन्दु पर प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षतिपूर्ति के दृष्टिकोण से विचार किया जाना है। अप्रार्थीगण सं.3 वादग्रस्त आराजीयात के बोनाफाईड पर्चेसर व रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है और एक रिकार्डेड खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पार्श्व किया जाना उचित नही समझते है एक रिकार्डेड खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पार्श्व किया जाता है तो अपूरणीय क्षति प्रार्थी की न होकर अप्रार्थीगण की संभावित है सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षतिपूर्ति भी प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत नही होती है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वारिज किए जाने योग्य होने से स्वारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नेवार के क्रम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 08/10/2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर, द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner